

वलिफुल डफिल्टर टैग के बना बजिली कंपनियाँ NCLT में शामिल नहीं होंगी

संदर्भ

हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नरिणीत किया है कि एक बजिली कंपनी को ऋण चुकाने के लिये तब तक दवालिपान अदालत (bankruptcy court) में नहीं ले जाया जा सकता है जब तक कि उसे वलिफुल डफिल्टर घोषित नहीं किया जाता है। न्यायालय ने वलित सचिव को जून में बजिली उत्पादकों से मलिकर उनसे बातचीत करने के नरिदेश दिये हैं ताकि वे वलितिय संकटों पर चर्चा कर सकें।

महत्त्वपूर्ण बढि

- यह नरिणय रजिस्टर बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के फरवरी के नरिदेश के अनुपालन के क्रम में दिया गया है जो कि ऋणदाताओं को वलितक्रिम के लिये 180 दिनों के भीतर संकटग्रस्त ऋणों के समाधान के लिये कहता है, जिसमें वलित होने पर कंपनी को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) को संदर्भित किया जाना था।
- यह बजिली क्षेत्र की कंपनियों सहित सभी क्षेत्रों के लिये 2,000 करोड़ रुपए से ऊपर के ऋणों पर लागू था जो बजिली खरीद समझौतों (PPA) पर हस्ताक्षर करने में असमर्थता, सरकारी मंजूरी में देरी और कोयले की अनुपलब्धता जैसे कई कारकों के कारण पीड़ित थे।
- एक वलिफुल डफिल्टर वह होता है जिसके पास ऋण चुकाने की सामर्थ्य होती है फिर भी वह जानबूझकर ऋण नहीं चुकाना चाहता।
- एसएमए -1 या एसएमए -2 श्रेणी में 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक बकाया वाली कंपनियों को वर्गीकृत किया गया है जिसका मतलब है कि उन्होंने देय तथि 30 से 60 दिनों के भीतर अपनी मासिक कसितों का भुगतान नहीं किया है।
- एसएमए का तात्पर्य वशिष उल्लेख खाते से है। अदालत के फैसले से बैंकों को संकटग्रस्त खातों के लिये समाधान खोजने को अधिक समय मलिया।

स्थायी समलित की रपिरट

- आरबीआई सर्कुलर ने 1 मार्च को 180 दिनों की अवधि के लिये संदर्भ तथि के रूप में नरिधारित किया था और इस प्रकार दवालिपान अदालत के बाहर तनावग्रस्त खातों को हल करने के लिये बैंकों के पास अगस्त के अंत तक का समय था।
- साथ ही, भारत की स्थापित बजिली उत्पादन क्षमता का लगभग 22% पहले ही गैर-नषिपादित संपत्तियों के रूप में गनिा जाता है।
- आरबीआई के ऑकड़ों के मुताबकि अप्रैल में बजिली क्षेत्र में भारत के बैंकों का अनाश्रयता 5.19 लाख करोड़ रुपए थी।
- इंडियन पावर प्रोड्यूसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा दायर याचिका के जवाब में उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया।
- अदालत ने वलित सचिव से बजिली उत्पादकों की 'शकायत पर वचिर' करने के लिये कहा और यह भी कहा कि समस्या का कोई समाधान संभव है या नहीं, इसपर वचिर किया जाए।
- खंडपीठ ने तनावग्रस्त ऋण के संबंध में मार्च 2018 में प्रस्तुत ऊर्जा पर स्थायी समलित की 37वीं रपिरट में कथि गए एक अवलोकन को भी संदर्भित किया।

बैठक को रोक दिया जाना

- एसोसिएशन ऑफ पावर प्रोड्यूसर्स के अनुसार, नए आरबीआई मानदंडों के कारण 70,000 मेगावाट उत्पादन क्षमता को ऋणशोधन के खतरे का सामना करना पड़ता है।
- हाल ही में बजिली क्षेत्र में तनावग्रस्त ऋण को हल करने के तरीकों को खोजने के लिये बजिली मंत्रालय, आरबीआई और उधारदाताओं की बैठकें दो बार रद्द कर दी गई हैं।
- बजिली क्षेत्र की समस्याओं को हल करने के लिये सरकार और नयामकों द्वारा कथि गए उपायों में 8-12 महीने लग सकते हैं, अतः बैंकों द्वारा उत्पादकों को अधिक समय देने की जरूरत है।
- उपरोक्त उद्धृत संसदीय रपिरट में कहा गया है कि बजिली क्षेत्र दबाव में है।
- हजारों मेगावाट वाले संयंत्र गंभीर वलितिय तनाव में हैं और वर्तमान में एसएमए-1 या 2 चरण या एनपीए बनने के कगार पर हैं।
- यह ईंधन की कमी, सब-ऑप्टीमल लोडिंग, अपरत्याशित क्षमताओं, FSA की अनुपस्थिति और PPA की कमी आदि के कारण है।
- इन परियोजनाओं को राष्ट्रीय जरूरतों और बजिली की मांग के साथ सभी आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता के आधार पर शुरू किया गया था।

